



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jda@jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/263033-7 Fax (0291-261) 3086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/2694

दिनांक:- 27/5/2022

## --:कार्यवाही विवरण:-

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 11.05.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

**एजेण्डा संख्या 1 :- (11.05.2022)**

**विषय :-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 23.03.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय :-** समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

## जोन पूर्व

**एजेण्डा संख्या 02**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
11.05.2022	पूर्व	नान्दडा कला	249	10.00.00 बीघा	आवासीय योजना
<b>आवेदक</b>	श्री गोपाल मेघवाल पुत्र श्री बाबूलाल मेघवाल				
<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 249 रकबा 10.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
<b>निर्णय:-</b>	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क गुजर रही है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावे।</li> <li>3. प्रार्थी द्वारा संलग्न योजना मानचित्र में दर्शित 40 फीट सड़क को कम दूरी पर दो मोड़ दर्शाये गये है अतः सड़क का एलाईमेंट सही करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।</li> <li>4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> <li>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

8.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।
----	--

### एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
11.05.2022	पूर्व	बनाड	112, 115	10.19.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री यश जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, री पूनमसिंह सोलंकी पुत्र श्री संतोषसिंह, श्री भरतसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 112, 115 रकबा 10.19.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकित जलीय क्षेत्र का राजस्व रिकॉर्ड एवम् मौका स्थिति अनुसार परीक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

### एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
11.05.2022	पूर्व	झालामण्ड	438 / 5, 438 / 6, 438 / 7, 440, 440 / 1, 440 / 2, 441	25.11.04 बीघा	चिकित्सा सुविधा (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट)
आवेदक	मैसर्स सतीश कुंती गोयल मेडिकल फाउण्डेशन प्रा.लि जोधपुर जरिये डायरेक्टर श्रीमती सुभाषनी पत्नी श्री आनन्द गोयल				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 438 / 5, 438 / 6, 438 / 7, 440, 440 / 1, 440 / 2, 441 रकबा 25.11.04 बीघा में चिकित्सा सुविधा (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में प्रस्तावित मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट की डी.पी.आर तथा मौके पर संचालित नर्सिंग कॉलेज बाबत प्रार्थी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर तथा आवेदित भूमि की जोजरी नदी के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दूरी की रिपोर्ट व जोजरी नदी की राजस्व सीमा का ले-आउट प्लान पर अंकन प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

### एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
11.05.2022	पूर्व	झालामण्ड	44 / 4	03.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री कालूराम पुत्र श्री मदनलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 44 / 4 रकबा 03.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। जिसकी मौका अनुसार सुनिश्चितता जोन स्तर द्वारा की जावे।				

→

2.	आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सडक गुजर रही है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावे।
3.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

### एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
11.05.2022	पूर्व	बनाड	449/2	01.10.00 बीघा	आवासीय प्रयोजनार्थ
आवेदक	श्रीमती जोगली पत्नी श्री अणदाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 449/2 रकबा 01.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण मास्टर प्लान की मिश्रित भू-उपयोग डी.सी.आर में संशोधन का होने से प्रकरण में विचार नहीं किया गया।				

### जोन पश्चिम

### एजेन्डा संख्या 01

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
11.05.2022	पश्चिम	चौखा	739/1	14.14.13 बीघा में से 06.00.00 बीघा	रिसोर्ट
आवेदक	श्री मोहनलाल गहलोट पुत्र श्री त्रिलोकचन्द्र उर्फ तिलोकराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 739/1 रकबा 14.14.13 बीघा में से 06.00.00 बीघा में रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को मौके पर उपलब्ध पहुंच मार्ग राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गै.मु नदी से प्राप्त हो रहा है। जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार नदी के सहारे 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान है उसे भी मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है। प्रकरण में आवेदक को निकटतम राजस्व रास्ते से आवेदित भूमि तक आवेदित उपयोग रिसोर्ट हेतु न्यूनतम आवश्यक पहुंच मार्ग 60 फीट उपलब्ध कराने बाबत सूचित किया जावे। इसके पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।				



एजेन्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
11.05.2022	पश्चिम	चौखा	632	02.14.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती झमकु पत्नी श्री चौथाराम, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री राणाराम मेघवाल व श्रीमती रामीदेवी पत्नी श्री जीवनराम मेघवाल जरिये आम मुख्यार श्री गोरधनराम पुत्र श्री भीयाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 632 रकबा 02.14.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में नाले के सहारे योजना के भूखण्डों में आवागमन हेतु दर्शित रास्ते को न्यूनतम 30 फीट प्रस्तावित कर एवं राजीव गांधी योजना व आवेदित भूमि के मध्य स्थित भूमि की जोन द्वारा राजस्व मानचित्र अनुसार जांच कर ले-आउट प्लान में अंकन किया जावे। उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।				

एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	गंगाणा	27/1	06.14.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री माघाराम पुत्र श्री नाथाराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 27/1 रकबा 06.14.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि तक पूर्व अनुमोदित योजना से पहुंच मार्ग की उपलब्धता बाबत् जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	चौपासनी	171/48/2	00.16.03 बीघा	व्यवसायिक एकल
आवेदक	श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री जीवनलाल जैन				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 171/48/2 रकबा 00.16.03 बीघा में व्यवसायिक एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के पीछे स्थित खसरा संख्या 49 पटवारी रिपोर्ट अनुसार गै.मु बाला है जिसको वर्तमान में गै.मु आबादी के रूप में दर्ज होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में पुनः गै.मु बाला दर्ज करवाये जाने बाबत् राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया जावे। प्रार्थी द्वारा बाईपास के सहारे वृक्षारोपण पट्टी में किये गये निर्माण को हटाये जाने बाबत् निर्देशित किया जावे। आवेदित भूमि के पीछे स्थित एच.टी लाईन को दर्शाते हुए संशोधित पी.टी सर्वे एवम् ले-आउट प्लान प्राप्त किया जावे। उपरोक्तानुसार पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				



एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	बडली	3/7	02.05.10 बीघा में से 1424.30 वर्गमीटर	पेट्रोल पम्प (वाणिज्यिक)
आवेदक	श्री प्रेमराम पुत्र श्री अर्जुनराम भील				
विषय:-	राजस्व ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 रकबा 02.05.10 बीघा में से 1424.30 वर्गमीटर में पेट्रोल पम्प (वाणिज्यिक) एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.02.2021 के क्रम में अग्रिम कार्यवाही तथा सडक व आवेदित भूमि के मध्य स्थित राजकीय भूमि के राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त होने की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	बुझावड	18/1 व 471/11	29.00.00 बीघा	फार्म हाउस योजना
आवेदक	मैसर्स यशोभूमि होम्स एल.एल.पी जरिये भागीदार श्री सिद्धार्थ अग्रवाल पुत्र श्री श्याम अग्रवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18/1 व 471/11 रकबा 29.00.00 बीघा में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकित बरसाती नाले की क्षमता, एलाईमेंट बाबत तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर योजना मानचित्र में दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	चौखा	701	10.08.00 बीघा	व्यवसायिक योजना
आवेदक	जे.डी.ए				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 171/48/2 रकबा 00.16.03 बीघा में व्यवसायिक योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में सुविधाजनक शोपिंग सेन्टर का ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 08

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	गंगाणा	243/117	07.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती छोटीदेवी पत्नी श्री अल्लादीन खां, श्री सदीक खां, हमल खां व बिलाल खां पुत्रान् श्री अल्लादीन खां				



विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 243/117 रकबा 07.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। जिसकी मौका अनुसार सुनिश्चितता जोन स्तर द्वारा की जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर चौड़ी सड़क का अंकन ले-आउट प्लान में किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।


### एजेण्डा संख्या 09

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.03.2022	पश्चिम	बुझावड	06, 459/18 व 19	15.06.00 बीघा	फार्म हाउस योजना
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री उजाराम, श्री लूणाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल व श्री थानाराम पुत्र श्री प्रभुराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 06, 459/18 व 19 रकबा 15.06.00 बीघा में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है अतः सड़क मध्य से 15 मीटर तक प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावें। 3. प्रकरण में राजकीय भूमि के मौका स्थिति अनुसार अतिक्रमण है अथवा नहीं बाबत रिपोर्ट की जावें। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में अतिक्रमण मुक्त किये जाने उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. फार्महाउस का पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि यदि भविष्य में जोनल/सेक्टर प्लान की सड़क आवेदित भूमि में से गुजरती है तो प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित करनी होगी।				



6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
27/05/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/2695-99

दिनांक:- 27/5/2022

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
27/05/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर


परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2022 वीं बैठक दिनांक 12.05.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                  | अध्यक्ष    |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                       | सदस्य      |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य      |
| 4. श्री लाडूराम विश्‍नोई, निदेशक (अभियंत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री श्रवणसिंह राजावत उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर        | सदस्य      |
| 6. श्री नीरज मिश्र उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर             | सदस्य      |
| 7. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।          | सदस्य सचिव |

  
23.05.2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर